प्रेस विज्ञप्ति

25.06.2026

<u>मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड मामले में ईडी ने विदेशी निवेश से जुड़ी दो जीवन बीमा पॉलिसियां कुर्क कीं</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) तथा उसके प्रवर्तक श्रीकांत भासी के विरुद्ध चल रही जांच के सिलसिले में ज़्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड के पास संचालित दो निवेश-आधारित (इन्वेस्टमेंट लिंक्ड) जीवन बीमा पॉलिसियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इन दोनों पॉलिसियों का कुल सरेंडर मूल्य 3,87,814.42 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.66 करोड़ रुपये) है।

ईडी ने यह जांच सीबीआई, बीएसएफबी, नई दिल्ली **द्वारा** एम/एस एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल)**,** उसके निदेशकों तथा अज्ञात लोक सेवकों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने फर्जी मर्चेंटिंग ट्रेड लेन-देन के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1,266.63 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय हानि पहुंचाई।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में यह सामने आया कि एओपीएल तथा उसके प्रवर्तकों ने फर्जी मर्चेंटिंग ट्रेड लेन-देन**,** सर्कुलर ट्रेडिंग**,** व्यापारिक दस्तावेजों की जालसाजी तथा बैंक से प्राप्त धनराशि को विभिन्न देशी एवं विदेशी संस्थाओं में डायवर्ट (अनधिकृत रूप से स्थानांतरित) करके धोखाधड़ीपूर्वक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाया। जांच में यह भी पाया गया कि अपराध से अर्जित आय को श्रीकांत भासी के नियंत्रण वाली अनेक कंपनियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर लेयरिंग की गई तथा बाद में उस धन का निवेश भारत एवं विदेशों में विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियों में किया गया।

जांच के दौरान ईडी ने ज़्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में श्रीकांत भासी के नाम पर संचालित दो निवेश-आधारित (इन्वेस्टमेंट लिंक्ड) जीवन बीमा पॉलिसियों की पहचान की। जांच से पता चला कि इन पॉलिसियों को अनुसूचित अपराध के घटित होने की अवधि के आसपास खरीदा गया था तथा इनका वित्तपोषण श्रीकांत भासी से जुड़े विदेशी बैंक खातों एवं विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किया गया था। आगे की जांच में यह भी सामने आया कि अप्रैल 2026 में श्रीकांत भासी ने दोनों बीमा पॉलिसियों को सरेंडर करने का अनुरोध किया तथा सरेंडर राशि अपने भारत स्थित बैंक खाते में भेजने का निवेदन किया। अपराध से अर्जित आय के संभावित रूप से हस्तांतरित या समाप्त किए जाने की आशंका को देखते हुए, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के तहत लगभग 3.66 करोड़ रुपये के कुल सरेंडर मूल्य वाली इन दोनों बीमा पॉलिसियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया।

इससे पूर्व, ईडी ने इसी मामले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में स्थित लगभग 51.70 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों तथा भारत में स्थित लगभग 111 करोड़ रुपये मूल्य की घरेलू संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। वर्तमान कुर्की की कार्रवाई अनुसूचित अपराध से अर्जित अपराध की आय का पता लगाने तथा उसे कुर्क करने के उद्देश्य से की जा रही सतत जांच का हिस्सा है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।